


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938

No. 473]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 680(अ).— केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 14 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

- (क) "अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "पूर्णकालिक अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
- (घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "अंशकालिक अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 12 के अधीन अंशकालिक आधार पर नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;

(2) शब्द और पद, जो इनमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति—(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और उसके प्रत्येक अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष, पदेन
(ख) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य, पदेन
(ग) वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(घ) सचिव, इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य, पदेन
(ङ) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा सुसंगत क्षेत्र से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ	

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए अपनी प्रक्रिया का विनियमन कर सकेगी।

4. वित्तीय या अन्य हित की घोषणा—अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में अपनी नियुक्ति पर या उससे पूर्व शपथ-पत्र द्वारा किसी अस्तित्व में पूर्ववर्ती नियोजन और शेयरधारण तथा वित्तीय और अन्य हित की विशिष्टियों की घोषणा करेगा।

5. वेतन—(1) पूर्णकालिक अध्यक्ष मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्ते का हकदार होगा, जो भारत सरकार के किसी सचिव को लागू होता है।

(2) पूर्णकालिक अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए किसी अन्य बैठक फीस का हकदार नहीं होगा।

(3) अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्य प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए क्रमशः पच्चीस हजार रुपए और बीस हजार रुपए का भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

6. वाहन भत्ता—अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्य उसके द्वारा प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए उपगत वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों के वास्तविक खर्च का हकदार होगा और प्रतिपूर्ति का दावा प्राधिकरण द्वारा वाहन उपलब्ध न कराए जाने की दशा में स्वतः प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा।

7. यात्रा भत्ता—(1) अध्यक्ष यात्रा पर या प्राधिकरण में सम्मिलित होने के लिए की गई यात्रा पर या प्राधिकरण में पदावधि के अवसान पर अपने गृह नगर को अग्रसर होने के समय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक सामान के परिवहन के लिए भत्ते का और अन्य फायदों का उसी दर पर हकदार होगा जो भारत सरकार के सचिव को लागू होती है।

(2) अंशकालिक सदस्य को ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके निवास के साधारण स्थान से बाहर जाने का आह्वान करने पर वह यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आवास का उसी दर पर हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को लागू होती है।

8. छुट्टी यात्रा रियायत—पूर्णकालिक अध्यक्ष उसी दर पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को लागू होती है।

9. छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण—(1) पूर्णकालिक अध्यक्ष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी का हकदार होगा।

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(3) पूर्णकालिक अध्यक्ष इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी कलेंडर वर्ष में अधिकतम बारह दिन के लिए किसी कलेंडर वर्ष में केवल एक बार नकदीकरण अनुज्ञात किया जाएगा, किसी समय उनके खाते में अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण करने का हकदार होगा।

(4) भारत का राष्ट्रपति पूर्णकालिक अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

10. सत्कार भत्ता—अध्यक्ष सत्कार भत्ते का हकदार नहीं होगा।

11. उपदान और पेंशन—(1) अध्यक्ष उपदान का हकदार नहीं होगा।

(2) पूर्णकालिक अध्यक्ष केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने का पात्र होगा।

12. टेलीफोन सुविधा—पूर्णकालिक अध्यक्ष टेलीफोन सुविधा का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

13. चिकित्सा सुविधा— पूर्णकालिक अध्यक्ष प्राधिकरण की सेवा के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा उपचार और सुविधाओं का हकदार होगा।

14. पद और गोपनीयता की शपथ—अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के भारसाधक मंत्री के समक्ष इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

15. अवशिष्ट उपबंध—अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित कोई विषय, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची

प्ररूप 1

(नियम 3 देखें)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पद की ली जाने वाली शपथ का प्ररूप

मैं,-----, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना निर्वहन करूंगा।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

प्ररूप 2

(नियम 3 देखें)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए गोपनीयता की ली जाने वाली शपथ का प्ररूप

मैं,-----, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं किसी ऐसे विषय, जो उक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

[फा. सं. 13012/64/2016-विधिक/यूआईडीएआई(भाग II)]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 53 read with sub-section (4) of section 14 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Unique Identification Authority of India (Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

- (b)“Authority” means the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Act;
- (c) “full-time Chairperson” means the Chairperson of the Authority appointed on full time basis under section 12 of the Act;
- (d)“Member” means the part-time Member of the Authority appointed under section 12 of the Act;
- (e)“part-time Chairperson” means the Chairperson of the Authority appointed on part-time basis under section 12 of the Act;

(2) Words and expressions used herein but not defined, and defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Search-cum-Selection Committee for appointment of Chairperson and Members.— (1) The Chairperson of the Authority and every part-time Member thereof shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee consisting of —

- | | |
|---|--------------------------------|
| (a) Cabinet Secretary | - Chairman <i>ex officio</i> ; |
| (b) Secretary, Department of Personnel and Training | - Member <i>ex officio</i> ; |
| (c) Finance Secretary, Ministry of Finance | - Member <i>ex officio</i> ; |
| (d) Secretary, Department of Electronics and Information Technology | - Member <i>ex officio</i> ; |
| (e) two experts from the relevant field to be nominated by the Minister in-charge of the Ministry of Communications and Information Technology. | |

(2) The Search-cum-Selection Committee may regulate its own procedure for the purpose of sub-rule (1).

4. Declaration of financial or other interest.— The Chairperson and every Member shall, on or before their appointment as such, declare by an affidavit the particulars of previous employment and shareholding and financial and other interest in any entity.

5. Pay.— (1) The full time Chairperson shall be entitled to a monthly salary and to such allowances as are applicable to a Secretary to the Government of India.

(2) The full time Chairperson shall not be entitled to any sitting fee for attending the meeting of the Authority.

(3) The part-time Chairperson and Members shall be entitled to receive an allowance of twenty five thousand rupees and twenty thousand rupees respectively, for attending a meeting of the Authority.

6. Conveyance allowance.— The part-time Chairperson and a Member shall be entitled to the actual expenses on air-conditioned taxi charges incurred by him for attending a meeting of the Authority and the reimbursement shall be claimed on self-certification basis, in case conveyance has not been provided by the Authority.

7. Travelling allowance.— (1) The Chairperson, while on tour or for the journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority while proceeding to his home town, shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and such other benefits at the same rate as are applicable to a Secretary to the Government of India.

(2) In case the part-time Member is called upon to go out of the ordinary place of his residence for discharging his duties as such Member, he shall be entitled to travelling allowance, daily allowance and accommodation at the same rate as are applicable to a Secretary to the Government of India.

8. Leave travel concession.— The full-time Chairperson shall be entitled to leave travel concession at the same rate as are applicable to a Secretary to the Government of India.

9. Leave and leave encashment.— (1) The full time Chairperson shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) The full-time Chairperson shall be entitled to encashment of fifty per-cent. of earned leave standing to their credit at any time, subject to the condition that the encashment shall be permitted only once during any calendar year for a maximum of twelve days in a calendar year.

(4) The President of India shall be the competent authority to sanction leave to the full-time Chairperson.

10. Sumptuary allowance.— The Chairperson shall not be entitled to sumptuary allowance.

11. Gratuity and pension.— (1) The Chairperson shall not be entitled to gratuity.

(2) The full-time Chairperson shall be eligible to join the National Pension System applicable to the Central Government employees.

12. Telephone facility.— The full time Chairperson shall be entitled for telephone facility as are admissible to a Secretary to the Government of India.

13. Medical facility.— The full-time Chairperson shall be entitled, while in the service of the Authority, to medical treatment and facilities as provided in the Central Government Health Scheme to the Central Government employees.

14. Oath of office and secrecy.— Every person appointed to be the Chairperson and every Member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy before the Minister in-charge of the Department of Electronics and Information Technology in Form I and Form II, respectively, as specified in the Schedule annexed to these rules.

15. Residuary provisions.— Any matter relating to the terms and conditions of service of the Chairperson and Members with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

FORM I

(See rule 3)

Form of oath of office for Chairperson/Members of the Unique Identification Authority of India

I, _____, having been appointed as Chairperson/Member of the Unique Identification Authority of India do solemnly affirm/swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairperson/Member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will.

(Name of the Chairperson/ Member)

FORM II

(See rule 3)

Form of oath of secrecy for Chairperson/Members of the Unique Identification Authority of India

I, _____, having been appointed as Chairperson/Member of the Unique Identification Authority of India do solemnly affirm/swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairperson/Member of the said Authority except as may be required for the due discharge of my duties as Chairperson/Member.

(Name of the Chairperson/ Member)

[F. No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI (Pt. II)]

SANJIV MITTAL, Jt. Secy.